

2023-24

(2)

पत्रांक :-3/यो.1-02/2019 (उशिशो) 394/642

झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

F.O
09.5.23

प्रेषक,

गरिमा सिंह,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 29.03.2023

विषय:-

राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत डोरण्डा कॉलेज, डोरण्डा को प्रिमियर संस्थान बनाने के लिए आधारभूत संरचना का विकास हेतु रु० 10,98,70,500/- (दस करोड़ अंठानवे लाख सत्तर हजार पाँच सौ) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रु० 1,28,40,000/- (एक करोड़ अठ्ठाईस लाख चालीस हजार रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

Sri Kujar
Sri Manjaya
Kishu
10.5.23

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृतिदेश संख्या 386/बजट दिनांक 29.03.2023 के आलोक में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत डोरण्डा कॉलेज, डोरण्डा को प्रिमियर संस्थान बनाने के लिए आधारभूत संरचना का विकास हेतु रु० 10,98,70,500/- (दस करोड़ अंठानवे लाख सत्तर हजार पाँच सौ) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रु० 1,28,40,000/- (एक करोड़ अठ्ठाईस लाख चालीस हजार रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2022-23 के राज्य स्कीम के शीर्ष- "मुख्य शीर्ष-2202, उप मुख्य शीर्ष-03-विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा, लघुशीर्ष-796-क्षेत्रीय उप योजना, उपशीर्ष-B5- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, उपयोजना-01- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06- अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान। विपत्र कोड-21S220203796B5010678 (स्कीम कोड-1628) के अंतर्गत होगा।

3. स्वीकृत राशि की निकारी के लिए निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकारी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी० एल० खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

4. राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत राँची कोषागार में संचालित पी० एल० खाता संख्या-8448 से राशि की निकारी कर एक सप्ताह के अंदर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को उपलब्ध करायेंगे।

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

6. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकारी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

8. स्वीकृतिदेश संख्या 386/बजट दिनांक 29.03.2023 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. स्वीकृत राशि की निकारी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहरताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

(गरिमा सिंह) 2

निदेशक, उच्च शिक्षा।

R-318
10/5/23

ज्ञापांक-3/यो.1-02/2019 (उ0शि0) 394/28.03/रॉची, दिनांक- 28.03./2023
प्रतिलिपि -महालेखाकार का कार्यालय, हिन्, रॉची/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय
कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ
प्रेषित।

98
28/3
(गरिमा सिंह)

ज्ञापांक-3/यो.1-02/2019 (उ0शि0) 394/28.03/रॉची, दिनांक- 28.03./2023
प्रतिलिपि -विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त
सचिव/कुलसचिव, रॉची विश्वविद्यालय, रॉची / लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा-सह-नोडल पदाधिकारी को
विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

91
28/3
(गरिमा सिंह)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

28/3

09/2023
राजिबुल्लाह,
कादिवाला,
ब्याच कायाध

स्ट बैंक
of India

A (RANCHI)

A/C Payee

मांगड्राफ्ट
DEMAND DRAFT

Key: VEJHEN
Sr. No: 137756

3 1 0 3 2 0 2 3
D D M M Y Y Y Y

REGISTRAR RU *****

DEMAND PAY
RUPEES One Crore Twenty Eight Lakh Forty Thousand Only

या उनके आदेश पर
OR ORDER

अदा करें ₹ 12840000.00

9
8
7
6
5
4
3
2
1

IOI 000550363192
Name of Applicant

Key: VEJHEN Sr. No: 137756
SBI

AMOUNT BELOW 12840001(0/8)

मूल्य प्राप्त / VALUE RECEIVED
Sunil Kumar



भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA
अदाकर्ता शाखा / DRAWEE BRANCH: RANCHI
पिन कोड . CODE No: 00167

Amit Kumar
AMIT KUMAR
पुष्टिकृत इन्साइगनेचर
NO: K134mb
PF NO: 5113433
EMPOWERED SIGNATORY

शाखा प्रबंधक
BRANCH MANAGER

कंप्यूटर द्वारा मुद्रित होने पर ही वैध
VALID ONLY IF COMPUTER PRINTED

केवल 3 महीने के लिए वैध
VALID FOR 3 MONTHS ONLY

INSTRUMENTS FOR ₹ 1,50,000/- & ABOVE ARE NOT VALID UNLESS SIGNED BY TWO OFFICERS

363192 0000020001 000550 16

2023-24
①

पत्रांक :- 3/यो.1-01/2016(उ0शि0) 372 / बजट
झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

F.O
09-5-23

प्रेषक,

गरिमा सिंह,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 16/03/2023

विषय:-

राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत राँची महिला महाविद्यालय के आधारभूत संरचना का विकास मद में Cafeteria Block & Other additions to Arts and Science Block के निर्माण हेतु रू0 7,30,55,000/- (सात करोड़ तीस लाख पचपन हजार) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रू0 1,03,74,000/- (एक करोड़ तीन लाख चौहत्तर हजार रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

Sri Kujar
Sri Manjay
महाशय,

10.5.23

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 370/बजट दिनांक 15.03.2023 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2022-23 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत राँची महिला महाविद्यालय के आधारभूत संरचना का विकास मद में Cafeteria Block & Other additions to Arts and Science Block के निर्माण हेतु रू0 7,30,55,000/- (सात करोड़ तीस लाख पचपन हजार) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रू0 1,03,74,000/- (एक करोड़ तीन लाख चौहत्तर हजार रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2022-23 के राज्य स्कीम के शीर्ष-"मुख्य शीर्ष-2202, उप मुख्य शीर्ष-03-विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा, लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष-B5- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, उपयोजना-01- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06- अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान। विपत्र कोड-21S220203796B5010678 (स्कीम कोड-1628) के अंतर्गत होगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

4. राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत पी0 एल0 खाता संख्या-8448 से एक सप्ताह के अंदर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पी0 एल0 खाता-8448 में राशि अंतरित कर दी जायेगी।

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

6. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

8. स्वीकृत्यादेश संख्या 370/बजट दिनांक 15.03.2023 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

R 321
10/5/23

ज्ञापांक-3/यो.1-01/2016(उ0शि0)/रॉंची, दिनांक-/2023
प्रतिलिपि - महालेखाकार का कार्यालय, हिनू, रॉंची/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय
कोषागार, डोरण्डा, रॉंची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ
प्रेषित।

ह0/-

(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो.1-01/2016(उ0शि0) 372/1948/रॉंची, दिनांक- 16/03/2023
प्रतिलिपि - विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त
सचिव/कुलसचिव, रॉंची विश्वविद्यालय, रॉंची/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा-सह-नोडल पदाधिकारी को
विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

68
16/3

(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

F0

शुद्धता
REGISTRATION
No. 0072
51-248260
REGIST
मो जेनर
ON DEMAND PAY
रुपये RUPEES
0102-15

भारतीय स्टेट बैंक
BRANCH: RANCHI
CODE No: 00212
0651-2482850

A/C Payee

मांगद्वारपट
DEMAND DRAFT

Key: YUFGEV
Sr. No: 119889

2 7 0 3 2 0 2 3
D D M M Y Y Y Y

मांगे जानेपर REGISTRAR RU *****
ON DEMAND PAY

या उनके आदेश पर
OR ORDER

रुपये RUPEES One Crore Three Lakh Seventy Four Thousand Only

अदा करें ₹ 10374000.00

IOI 000544535487
Name of Applicant

Key: YUFGEV
By Charges

Sr. No: 119889

AMOUNT BELOW 10374001(0/8)

मूल्य प्राप्त / VALUE RECEIVED



भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA
अदाकर्ता शाखा / DRAWEE BRANCH: RANCHI
चेष्टा क्र. / CODE No: 00167

ASIM PRASHMAN TIGGA
DEPUTY MANAGER

प्रामाणिक हस्ताक्षरकर्ता
AUTHORIZED SIGNATORY

Amit Kumar
AMIT KUMAR
DEPUTY MANAGER
PF No: 115493

कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित होने पर ही वैध
VALID ONLY IF COMPUTER PRINTED

केवल 3 महीने के लिए वैध
VALID FOR 3 MONTHS ONLY

ASIM PRASHMAN TIGGA
DEPUTY MANAGER
SS. No.: T-3521
PE No.: 6007597

INSTRUMENTS FOR ₹ 1,00,000/- & ABOVE ARE NOT VALID UNLESS SIGNED BY TWO OFFICERS

⑈ 535487 ⑈ 000002000⑈ 000544 ⑈ 16

- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

SESHASAI/ID/CTS-2010

Min Rs.
31000.00
127040.00
014.05

पत्रांक :-5/यो.1-45/2015 (उ0शि0)..... /

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

गरिमा सिंह,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची।

विषय:-

रॉची, दिनांक /
वित्तीय वर्ष 2022-23 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत लोहरदगा जिला में महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु रू0 9,18,31,000/- (नौ करोड़ अठ्ठारह लाख एकतीस हजार) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रू0 1,69,62,000/- (एक करोड़ उनहत्तर लाख बासठ हजार रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 340/बजट दिनांक 22.02.2023 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2022-23 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत लोहरदगा जिला में महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु रू0 9,18,31,000/- (नौ करोड़ अठ्ठारह लाख एकतीस हजार) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रू0 1,69,62,000/- (एक करोड़ उनहत्तर लाख बासठ हजार रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2022-23 के राज्य स्कीम के शीर्ष-मुख्य शीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03- विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपरोचना, उप शीर्ष-BA- नये विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना के लिए सहायता अनुदान, 01- नये विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों हेतु आधारभूत संरचना का विकास, विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान.78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड-21S220203796BA010678) (स्कीम कोड-1633) के अंतर्गत होगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

4. राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत राँची कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 से राशि की निकासी कर एक सप्ताह के अंदर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को उपलब्ध करायेंगे।

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

6. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

8. स्वीकृत्यादेश संख्या 340/बजट दिनांक 22.02.2023 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह0/-
(गरिमा सिंह)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

R-140
21/3/23

ज्ञापक-5/यो.1-45/2015 (उ0शि0)...../राँची, दिनांक-...../2023
प्रतिलिपि -महालेखाकार का कार्यालय, हिन्डू, राँची/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय
कोषागार, डोरण्डा, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ
प्रेषित।

ह0/-

(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापक-5/यो.1-45/2015 (उ0शि0) 343/2023/राँची, दिनांक- 23/02/2023
प्रतिलिपि -विभागीय सचिव के प्रधान अम्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त
सचिव/कुलसचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची X लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा-सह-नोडल पदाधिकारी को
विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

7402

20
22-23

पत्रांक :-3/यो.1-10/2016 (उ0शि0)/
झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

गरिमा सिंह,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

विषय:-

राँची, दिनांक/
वित्तीय वर्ष 2022-23 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत सिमडेगा कॉलेज, सिमडेगा में बहुददेशीय परीक्षा भवन के निर्माण हेतु रू0 9,74,45,000/- (नौ करोड़ चौहत्तर लाख पैंतालीस हजार) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रू0 90,15,000/- (नब्बे लाख पन्द्रह हजार रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 346/बजट दिनांक 27.02.2023 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2022-23 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत सिमडेगा कॉलेज, सिमडेगा में बहुददेशीय परीक्षा भवन के निर्माण हेतु रू0 9,74,45,000/- (नौ करोड़ चौहत्तर लाख पैंतालीस हजार) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रू0 90,15,000/- (नब्बे लाख पन्द्रह हजार रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2022-23 के राज्य स्कीम के शीर्ष- "मुख्य शीर्ष-2202, उप मुख्य शीर्ष-03-विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा, लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष-B5- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06- अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान, विपत्र कोड-21S220203796B5010678 (स्कीम कोड-1628) के अंतर्गत होगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

4. राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत राँची कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 से राशि की निकासी कर एक सप्ताह के अंदर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को उपलब्ध करायेंगे।

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को प्रसमय उपलब्ध कराया जाय।

6. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

8. स्वीकृत्यादेश संख्या 346/बजट दिनांक 27.02.2023 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह0/-
(गरिमा सिंह)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

F.O.
21-3-23

Si Kujra
Si Manj

Urgent
22.3.23

R-143
21/3/23


ज्ञापक-3/यो.1-10/2016 (उ0शि0)/रॉची, दिनांक-/2023
प्रतिलिपि -महालेखाकार का कार्यालय, हिन्, रॉची/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय
कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ
प्रेषित।

ह0/-

(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापक-3/यो.1-10/2016 (उ0शि0) 350/864/रॉची, दिनांक- 28/02/2023
प्रतिलिपि -विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त
सचिव/कुलसचिव, रॉची विश्वविद्यालय, रॉची X लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा-सह-नोडल पदाधिकारी को
विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher and Technical Education Department (Higher Education Division)

कार्य वितीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 3/YO1-10/2016/350/BUDGET

दिनांक - 28-Feb-2023

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203796B5010678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 796 - जनजातीय क्षेत्र उपसंचयना B5 - विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान 01 - राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का विकास के लिए सहायता अनुदान 05 - अनुदान State Scheme	87725	DRNEDN046 SRI ARUN KUMAR UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA. 78 - पीजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान	9,015,000.00 रुपये नब्बे लाख पंद्रह हजार
State Scheme : GRANT IN AID TO UNIVERSITIES AND EXISTING COLLEGE FOR INFRASTRUCTURE Central Scheme : DEVELOPMENT(1628)				



योग: रुपये नब्बे लाख पंद्रह हजार

9,015,000.00

क्रमिक योग:

(GAMMA SIGN)
DIRECTOR

पत्रांक :-1/यो.1-25/2016 (उ0शि0)(अंश) 355/बजट

झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

गरिमा सिंह,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची।

विषय:-

रॉची, दिनांक 09/03/2023
वित्तीय वर्ष 2022-23 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत तोरपा विधानसभा क्षेत्र में डिग्री महाविद्यालय, बानो, रिमडेगा की स्थापना हेतु रू0 15,76,99,600/- (पन्द्रह करोड़ छिहत्तर लाख निन्यानवे हजार छः सौ) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रू0 2,25,76,000/- (दो करोड़ पचीस लाख छिहत्तर हजार रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 355/बजट दिनांक 02.03.2023 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2022-23 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत तोरपा विधानसभा क्षेत्र में डिग्री महाविद्यालय, बानो, रिमडेगा की स्थापना हेतु रू0 15,76,99,600/- (पन्द्रह करोड़ छिहत्तर लाख निन्यानवे हजार छः सौ) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रू0 2,25,76,000/- (दो करोड़ पचीस लाख छिहत्तर हजार रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2022-23 के राज्य स्कीम के शीर्ष-मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03- विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना, उप शीर्ष-BA- नये विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना के लिए सहायता अनुदान, 01- नये विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों हेतु आधारभूत संरचना का विकास, विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान, 78-पूँजी परिसंपत्ति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड-21S220203796BA010678) (स्कीम कोड-1633) के अंतर्गत होगा।

3. स्वीकृत राशि की निकारी के लिए निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकारी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

4. राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत राँची कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 से राशि की निकारी कर एक सप्ताह के अंदर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को उपलब्ध करायेंगे।

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

6. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकारी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

8. स्वीकृत्यादेश संख्या 355/बजट दिनांक 02.03.2023 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. स्वीकृत राशि की निकारी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहरताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

98
313
(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

21/3/23

R-141
21/3/23

ज्ञापांक-1/यो.1-25/2016 (उ0शि0)(अंश) 359/१७७८/रॉची, दिनांक- ०९/०३/2023
प्रतिलिपि -महालेखाकार का कार्यालय, हिनू, रॉची/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय
कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

१९/०३/२३
(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-1/यो.1-25/2016 (उ0शि0)(अंश) 359/१७७८/रॉची, दिनांक- ०९/०३/2023
प्रतिलिपि -विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त
सचिव/कुलसचिव, रॉची विश्वविद्यालय, रॉची / लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा-सह-नोडल पदाधिकारी को
विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

१९/०३/२३
(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

१९/०३/२३

पत्रांक :-1/यो.1-25/2016 (जोशितो) (अंश).....323...../ बजर

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

गरिमा सिंह,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 08/02/2023

राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र में डिग्री स्तरीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु रू० 15,76,99,600/- (पन्द्रह करोड़ छिहत्तर लाख निन्यानवे हजार छः सौ) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू० 3,00,00,000/- (तीन करोड़ रुपये) मात्र के मुग्तान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 318/बजट दिनांक 07.02.2023 के आलोक में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र में डिग्री स्तरीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु रू० 15,76,99,600/- (पन्द्रह करोड़ छिहत्तर लाख निन्यानवे हजार छः सौ) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू० 3,00,00,000/- (तीन करोड़ रुपये) मात्र के मुग्तान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2022-23 के राज्य स्कीम के शीर्ष- "मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03- विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-BA- नये विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना के लिए सहायता अनुदान, 01- नये विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों हेतु आधारभूत संरचना का विकास, विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान,78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड-21S220203796BA010678) (स्कीम कोड-1633) के अंतर्गत होगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संवालिंत पी० एल० खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

4. राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत राँची कोषागार में संचालित पी० एल० खाता संख्या-8448 से राशि की निकासी कर एक सप्ताह के अंदर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को उपलब्ध करायेंगे।

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

6. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

8. स्वीकृत्यादेश संख्या 318/बजट दिनांक 07.02.2023 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह०/-
(गरिमा सिंह)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

Sri Kujar
Sri Mayajay
विषय:-
17.02.2023

F.O/eeb-e.

17-2-23

R-31
17/2/23

23
3
Y
R
ER
Y

ज्ञापांक-1/यो.1-25/2016 (उ०शि०) (अंश)...../रॉची, दिनांक-/2023
प्रतिलिपि -महालेखाकार का कार्यालय, हिन्डू, रॉची/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय
कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ
प्रेषित।

ह०/-
(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-1/यो.1-25/2016 (उ०शि०) (अंश) 323/अप्ट/रॉची, दिनांक- 08/02/2023
प्रतिलिपि -विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त
सचिव/कुलसचिव, रॉची विश्वविद्यालय, रॉची / लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा-सह-नोडल पदाधिकारी को
विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

68
8/2/23
(गरिमा सिंह)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

DRANDRA TRAVEL
CODE No: 00212
No. 0651-2482850

Bank of India
A/C Payee

मांगड्राफ्ट
DEMAND DRAFT

Key: YEKCIQ
Sr. No: 167826

1 | 5 | 0 | 12 | 12 | 10 | 12 | 13 | 11
D D M M Y Y Y Y 22-23

मागे जानेपर REGISTRAR RU
ON DEMAND PAY

या उनके आदेश पर
OR ORDER

Three Crore - Only

रुपये RUPEES

30000000.00

101-000550362624
Name of Applicant

Key: YEKCIQ
SBI

Sr. No: 167826

AMOUNT BELOW 30000000.00

अदा करें

₹

मूल्य प्राप्त / VALUE RECEIVED

Shrimohan

भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA
अदाकर्ता शाखा / DRAWEE BRANCH: RANCHI
पेड़ प्रं. / CODE No: 00187

Amit Kumar

SHRIMOHAN PRASAD
S.S. No.: S-24081

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
AUTHORISED SIGNATORY

शाखा प्रबंधक
BRANCH MANAGER

AMIT KUMAR
SS No.: K13147
PF No.: 511546

कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित होने पर ही वैध
VALID ONLY IF COMPUTER PRINTED

केवल 3 महीने के लिए वैध
VALID FOR 3 MONTHS ONLY

₹ 30000000.00 तक के लिए दो अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होने पर ही वैध है।
INSTRUCTIONS FOR ₹ 1.50 LAKH & ABOVE ARE NOT VALID UNLESS SIGNED BY TWO OFFICERS

⑈ 36 26 24 ⑈ 00000 20001: 000550 ⑈ 16

- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

प्रेषक,

गरिमा सिंह,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 07/02/2023/

वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य स्कीम अंतर्गत प्रशिक्षण, कॉन्फेन्स, कार्यशाला एवं भ्रमण, सॉफ्ट स्कील, कन्सलटेन्सी फीस, प्लेसमेन्ट सेल, स्टार्ट अप आदि के लिए सहायता अनुदान मद में 25 लाख रुपये प्रति विश्वविद्यालय की दर से कुल 07 (सात) विश्वविद्यालयों के लिए राशि रु0 1,75,00,000/- (एक करोड़ पचहत्तर लाख रुपये) मात्र के विरुद्ध राँची विश्वविद्यालय, राँची हेतु रु0 20,00,000/- (बीस लाख रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग - राँची विश्वविद्यालय, राँची का पत्रांक RU/VC/838/2023 दिनांक 11.01.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 130/बजट दिनांक 02.08.2022 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य स्कीम अंतर्गत प्रशिक्षण, कॉन्फेन्स, कार्यशाला एवं भ्रमण, सॉफ्ट स्कील, कन्सलटेन्सी फीस, प्लेसमेन्ट सेल, स्टार्ट अप आदि के लिए सहायता अनुदान मद में 25 लाख रुपये प्रति विश्वविद्यालय की दर से कुल 07 (सात) विश्वविद्यालयों के लिए राशि रु0 1,75,00,000/- (एक करोड़ पचहत्तर लाख रुपये) मात्र के विरुद्ध राँची विश्वविद्यालय, राँची हेतु रु0 20,00,000/- (बीस लाख रुपये) मात्र के भुगतान हेतु निम्नवत् आवंटन प्रदान की जाती है-

क्र०सं०	विश्वविद्यालय का नाम	आवंटित राशि
1.	राँची विश्वविद्यालय, राँची	20,00,000/-

2. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष-

"मुख्य शीर्ष-2202, उप मुख्य शीर्ष-03-विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा, लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष-B9-प्रशिक्षण, कॉन्फेन्स, कार्यशाला एवं भ्रमण, सॉफ्ट स्कील, कन्सलटेन्सी फीस, प्लेसमेन्ट सेल, स्टार्ट अप आदि के लिए सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06- अनुदान, 79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)। विपत्र कोड-21S220203796B9010679 (स्कीम कोड-1632) के अन्तर्गत होगा।"

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

4. राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत राँची कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 से राशि की निकासी करेंगे।

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

R-33
17/2/23

Sri Kujum
Sri Manjary
17.2.23

17-2-23

6. झारखण्ड कोषागार रांछिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
7. महालेखाकार का कार्यालय, अंकक्षण/वित्त (अंकक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी गई राशि के अंकक्षण का अधिकार होगा।
8. स्वीकृत्यादेश संख्या 130/बजट दिनांक 02.08.2022 की अन्य शर्तों का अनुपा सुनिश्चित किया जायेगा।
9. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासमाजन,

ह0/-

(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो.1-15/2017 (उ0शि0)/राँची, दिनांक-/2023
प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/कोषागार पदाधिकार
जिला कोषागार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो.1-15/2017 (उ0शि0) 315/8158/राँची, दिनांक- 07/02/2023
प्रतिलिपि -विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त
सचिव/ कुलसचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची X लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा-सह-नोडल पदाधिकारी को
विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

98
6/2/23

(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

10 27-23

जारी करने वाली शाखा भारतीय स्टेट बैंक
Issuing Branch: RANCHA (RANCHI)
कोड नं. / CODE No: 00212
Tel No. 0651-2482850

मांगदाफ्ट
A/C Payee
DEMAND DRAFT

Key: YUBCON
Sr. No: 125875

1 5 0 2 2 0 2 3
D D M M Y Y Y Y

मांगे जानेपर REGISTRAR RU *****

या उनके आदेश पर
OR ORDER

ON DEMAND PAY
Twenty Lakh Only

रुपये RUPEES

2000000.00

अदा करें ₹


LOT 000550362623
Name of Applicant

Key: YUBCON Sr. No: 125875
SBI

AMOUNT BELOW 2000001(0/7)

मूल्य प्राप्त / VALUE RECEIVED

Shrimohan Prasad



भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA
अदाकर्ता शाखा / DRAWEE BRANCH: RANCHI
कोड नं. / CODE No: 00167

Amit Kumar

SHRIMOHAN PRASAD

AMIT KUMAR
SS No.: K13147
PF No.: 51158

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / S. No.: 524881
AUTHORIZED SIGNATORY BRANCH MANAGER

कंप्यूटर द्वारा मुद्रित होने पर ही वैध
VALID ONLY IF COMPUTER PRINTED

केवल 3 महीने के लिए वैध
VALID FOR 3 MONTHS ONLY

भारतीय स्टेट बैंक के अधिक के लिखत दो अधिकारियों द्वारा इलासहित होने पर ही वैध है।
ABOVE ARE NOT VALID UNLESS SIGNED BY TWO OFFICERS

⑈ 36 26 23 ⑈ 00000 2000 ⑈ 000550 ⑈ 16

F-0
C

1.22
9/2/23

14
22-23

पत्रांक - 1/यो.1-25/2016 (उ0शि0) (अंश) 32.3/9मा
झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

e.e.D.c./F.O.
9.2.23

प्रेषक,
Sri ENK Kujum
Sri Manjay Prasad
विषय:-
Kumar
10.2.23
महाशय,

गरिमा सिंह,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 08/02/2023

राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र में डिग्री स्तरीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु रू0 15,76,99,600/- (पन्द्रह करोड़ छिहत्तर लाख निन्यानवे हजार छः सौ) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 3,00,00,000/- (तीन करोड़ रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 318/बजट दिनांक 07.02.2023 के आलोक में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र में डिग्री स्तरीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु रू0 15,76,99,600/- (पन्द्रह करोड़ छिहत्तर लाख निन्यानवे हजार छः सौ) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 3,00,00,000/- (तीन करोड़ रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2022-23 के राज्य स्कीम के शीर्ष- "मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03- विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना, उभ शीर्ष-BA- नये विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना के लिए सहायता अनुदान, 01- नये विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों हेतु आधारभूत संरचना का विकास, विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान,78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड-21S220203796BA010678) (स्कीम कोड-1633) के अंतर्गत होगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संवालिता पी0 एल0 खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

4. राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुरांगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत राँची कोषागार में संवालिता पी0 एल0 खाता संख्या-8448 से राशि की निकासी कर एक सप्ताह के अंदर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को उपलब्ध करायेंगे।

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

6. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्ता एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

8. स्वीकृत्यादेश संख्या 318/बजट दिनांक 07.02.2023 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहरताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

98
8/2/23
(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

R-109
10/2/23

ज्ञापक-1/यो.1-25/2016 (उ0शि0) (अंश) 323/अ.4/रॉची, दिनांक- 08/02/2023
प्रतिलिपि -महालेखाकार का कार्यालय, हिनू, रॉची/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय
कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ
प्रेषित।

GS
8/2/23
(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापक-1/यो.1-25/2016 (उ0शि0) (अंश) 323/अ.4/रॉची, दिनांक- 08/02/2023
प्रतिलिपि -विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त
सचिव/कुलसचिव, रॉची विश्वविद्यालय, रॉची / लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा-सह-नोडल पदाधिकारी को
विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

GS
8/2/23
(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

GS
8/2/23

12
2022-23

Sri Kujawal
Sri Manjap

क्रमांक :- 3/सो.1-19/2017 (उ० शि०) 245/बजट

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

सूरज कुमार,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

विषय-

वित्तीय वर्ष 2022-23 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत मॉडल महाविद्यालय (पी० पी० के० कॉलेज, बुण्डु) की आधारभूत संरचना के विकास हेतु रु० 9,91,85,000/- (नौ करोड़ एकानवे लाख पचासी हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रु० 1,07,91,000/- (एक करोड़ सात लाख एकानवे हजार रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 245/बजट दिनांक 08.12.2022 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2022-23 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत मॉडल महाविद्यालय (पी० पी० के० कॉलेज, बुण्डु) की आधारभूत संरचना के विकास हेतु रु० 9,91,85,000/- (नौ करोड़ एकानवे लाख पचासी हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रु० 1,07,91,000/- (एक करोड़ सात लाख एकानवे हजार रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2022-23 के राज्य स्कीम के शीर्ष-"मुख्य शीर्ष-2202, उप मुख्य शीर्ष-03-विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा, लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना, उपशीर्ष-B5- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, उपयोगना-01- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06- अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान। विपत्र कोड-21S220203796B5010678 (स्कीम कोड-1628) के अंतर्गत होगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी० एल० खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

4. राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत राँची कोषागार में संचालित पी० एल० खाता संख्या-8448 से राशि की निकासी की जायेगी।

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

6. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

8. स्वीकृत्यादेश संख्या 245/बजट दिनांक 08.12.2022 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


9. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

(सूरज कुमार)
निदेशक, उच्च शिक्षा।


R-26
01/12/23

ज्ञापांक-3/यो.1-19/2017 (उ० शि०) 248/१७५६/राँची, दिनांक- 13/12/2022
प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/कोषागार पदाधिकारी,
जिला कोषागार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(सूरज कुमार)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो.1-19/2017 (उ० शि०) 248/१७५६/राँची, दिनांक- 13/12/2022
प्रतिलिपि -विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त
सचिव/कुलसचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा-सह-नोडल पदाधिकारी को
विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(सूरज कुमार)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

12
2022-23

जारी करने वाली शाखा
Issuing Branch **STATE BANK OF INDIA RANCHI**
जि. को. / JC CODE No: 00212
Tel No. 0651-2482850

प्राप्त करने वाले
Payee **DEMAND DRAFT**

Key: SEFJOS
Sr. No: 110800

3 1 1 2 2 0 2 2
D D M M Y Y Y Y

या उनके आदेश पर
OR ORDER

मांगे जाने पर REGISTRAR RU *****
ON DEMAND PAY
रुपये RUPEES
One Crore Seven Lakh Ninety One Thousand Only

₹ 10791000.00

IOI 000544534776
Name of Applicant
Key: SEFJOS
By Charges

Sr. No: 110800
AMOUNT BELOW 10791007(0/8)

₹ 10791000.00
शुद्ध प्राप्त / VALUE RECEIVED

भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA
अवकाश शाखा / DRAWEE BRANCH: RANCHI
को. को. / JC CODE No: 00167

[Signature]

SHRIMOHAN PRASAD
S.S. No.: S-24981
BRANCH MANAGER

₹ 1,50,000/- एवं अधिक के लिखन को अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होने पर ही वैध है।
INSTRUMENTS FOR ₹ 1,50,000/- & ABOVE ARE NOT VALID UNLESS SIGNED BY TWO OFFICERS

कम्प्यूटर द्वारा प्रिंट होने पर ही वैध है।
VALID ONLY IF COMPUTER PRINTED

कम से कम 3 महीने के लिए वैध।
VALID FOR 3 MONTHS ONLY

॥ 534776 ॥ 0000020001: 000544 ॥ १६

9
8
7
6
5
4
3
2
1

IRV

Sri Kujar
Sri Manjari
22.12.22

पत्रांक :- 3/यो.1-10/2016 (उ0शि0)..... 187 / बजट

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

11

Fo
21.12.22

प्रेषक,

सूरज कुमार,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

विषय:-

रॉची, दिनांक 17/10/22 /
वित्तीय वर्ष 2022-23 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत बी0 एस0 कॉलेज, लोहरदग्गा में बहुदेशीय परीक्षा भवन के निर्माण हेतु रू0 9,74,45,000/- (नौ करोड़ चौहत्तर लाख पैंतालीस हजार) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रू0 53,06,559/- (तीरपन लाख छः हजार पाँच सौ उनसठ रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 112/बजट दिनांक 21.07.2022 के आलोके में वित्तीय वर्ष 2022-23 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत बी0 एस0 कॉलेज, लोहरदग्गा में बहुदेशीय परीक्षा भवन के निर्माण हेतु रू0 9,74,45,000/- (नौ करोड़ चौहत्तर लाख पैंतालीस हजार) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रू0 53,06,559/- (तीरपन लाख छः हजार पाँच सौ उनसठ रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2022-23 के राज्य स्कीम के शीर्ष- "मुख्य शीर्ष-2202, उप मुख्य शीर्ष-03-विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा, लघुशीर्ष-796-क्षेत्रीय उप योजना, उपशीर्ष-B5- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, उपयोजना-01- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06- अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान। विपत्र कोड-21S220203796B5010678 (स्कीम कोड-1628) के अंतर्गत होगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

4. राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत राँची कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 से राशि की निकासी कर एक सप्ताह के अंदर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को उपलब्ध करायेंगे।

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

6. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

8. स्वीकृत्यादेश संख्या 112/बजट दिनांक 21.07.2022 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(सूरज कुमार)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

R-977
21/12/22


ज्ञापांक-3/यो.1-10/2016 (उ0शि0)...../राँची, दिनांक-/2022
प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/कोषागार पदाधिकारी,
जिला कोषागार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(सूरज कुमार)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो.1-10/2016 (उ0शि0)...../राँची, दिनांक-/2022
प्रतिलिपि -विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त
सचिव/कुलसचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च
एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा सहायक निदेशक, तकनीकी
शिक्षा-सह-नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(सूरज कुमार)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

Sri Kujar
Sri Manjary

पत्रांक :- 5/यो01-03/2015 (उ0शि0) 254/अप

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

F01/CCPC
06-1-23

प्रेषक,

सूरज कुमार,
निदेशक, उच्च शिक्षा ।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 13/12/2022

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2022-23 में राँची विश्वविद्यालय, राँची में अध्ययनरत निर्धन छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर की स्थापना के मद में बजटीय उपबंध के अधीन रू0 9,26,000/- (नौ लाख छब्बीस हजार रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 236/बजट दिनांक 24.11.2022 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2022-23 में राँची विश्वविद्यालय, राँची में अध्ययनरत निर्धन छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर की स्थापना के मद में बजटीय उपबंध के अधीन रू0 9,26,000/- (नौ लाख छब्बीस हजार रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2022-23 के राज्य स्कीम के शीर्ष- "मुख्यशीर्ष-2202- सामान्य शिक्षा, 03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना, उप शीर्ष-B8- छात्रों की निःशुल्क शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेंटर की स्थापना एवं द्वितीय पाली में कक्षा का संचालन हेतु सहायता अनुदान- उपयोगना-01- छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेंटर की स्थापना एवं द्वितीय पाली में कक्षा का संचालन हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान, 79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) (विपत्र कोड-21S220203796B8010679) (स्कीम कोड-1631) के अंतर्गत होगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो बैंक ड्राफ्ट माध्यम से कुलसचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से पी0 एल0 खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

4. कुलसचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत पी0 एल0 खाता संख्या-8448 से राशि की निकासी की जायेगी।

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

6. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

8. स्वीकृत्यादेश संख्या 236/बजट दिनांक 24.11.2022 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


9. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,


(सूरज कुमार)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

R-28
21/12/23

ज्ञापक-5/यो01-03/2015 (उ0शि0) 254/0347 राँची, दिनांक- 13/12/2022
प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/कोषागार पदाधिकारी,
जिला कोषागार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(सूरज कुमार)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापक-5/यो01-03/2015 (उ0शि0) 254/0347 राँची, दिनांक- 13/12/2022
प्रतिलिपि -विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त
सचिव/कुलसचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची / लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा-सह-नोडल पदाधिकारी को
विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(सूरज कुमार)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

10
22-23

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India
A/C Payee
JCO CODE No: 00212
Sl No. 0651-2482850

मांगदापट
DEMAND DRAFT

Key: RUCDUV
Sr. No: 172411
3 1 1 2 2 0 2 2
D D M M Y Y Y Y

ON DEMAND PAY
रुपये RUPEES
Nine Lakh Twenty Six Thousand Only

अदा करें ₹ 926000.00


IOI 000544534777
Name of Applicant
Key: RUCDUV
By Charges

Sr. No: 172411
AMOUNT BELOW 926001 (016)

शुद्ध मूल्य / VALUE RECEIVED

3
4
5
6
7
8
9
1

भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA
अदाकर्ता शाखा / DRAWEE BRANCH: RANCHI
कोड क्र. / CODE NO: 00167



अधिकृत हस्ताक्षर
S.S. MOHAN
BRANCH MANAGER

1150-000- यह प्रतिवेदन के सिवाय के अधिकारियों को इस हस्ताक्षरित होने का अधिकार है।
SIGNATURES FOR 1150-000- ARE NOT VALID UNLESS SIGNED BY TWO OFFICERS

कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित होने पर भी वैध
VALID ONLY IF COMPUTER PRINTED
कमाल 3 महीने के लिए वैध
VALID FOR 3 MONTHS ONLY

D.D. No. 534777

39/RV

Sri Kujar

Sri Manjary

22-33

08

पत्रांक :- 3/यो.1-15/2017 (उ0शि0) 183 / बजट
झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

सूरज कुमार,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 13/10/2022 /

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य स्कीम अंतर्गत प्रशिक्षण, कॉन्फ्रेन्स, कार्यशाला एवं भ्रमण, सॉफ्ट स्कील, कन्सलटेन्सी फीस, प्लेसमेन्ट सेल, स्टार्ट अप आदि के लिए सहायता अनुदान मद में 25 लाख रुपये प्रति विश्वविद्यालय की दर से कुल 07 (सात) विश्वविद्यालयों के लिए राशि ₹0 1,75,00,000/- (एक करोड़ पचहत्तर लाख रुपये) मात्र के विरुद्ध राँची विश्वविद्यालय, राँची हेतु ₹0 5,00,000/- (पाँच लाख रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग -

निर्मला कॉलेज, राँची का पत्रांक 251/NCR/22 दिनांक 22.08.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 130/बजट दिनांक 02.08.2022 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य स्कीम अंतर्गत प्रशिक्षण, कॉन्फ्रेन्स, कार्यशाला एवं भ्रमण, सॉफ्ट स्कील, कन्सलटेन्सी फीस, प्लेसमेन्ट सेल, स्टार्ट अप आदि के लिए सहायता अनुदान मद में 25 लाख रुपये प्रति विश्वविद्यालय की दर से कुल 07 (सात) विश्वविद्यालयों के लिए राशि ₹0 1,75,00,000/- (एक करोड़ पचहत्तर लाख रुपये) मात्र के विरुद्ध राँची विश्वविद्यालय, राँची हेतु ₹0 5,00,000/- (पाँच लाख रुपये) मात्र के भुगतान हेतु निम्नवत् आवंटन प्रदान की जाती है-

क्र0सं0	विश्वविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का नाम	आवंटित राशि
1.	राँची विश्वविद्यालय, राँची	निर्मला कॉलेज, राँची	5,00,000/-
कुल राशि			5,00,000/-

2. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित

शीर्ष-

"मुख्य शीर्ष-2202, उप मुख्य शीर्ष-03-विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा, लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना, उपशीर्ष-B9-प्रशिक्षण, कॉन्फ्रेन्स, कार्यशाला एवं भ्रमण, सॉफ्ट स्कील, कन्सलटेन्सी फीस, प्लेसमेन्ट सेल, स्टार्ट अप आदि के लिए सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06- अनुदान, 79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)। विपत्र कोड-21S220203796B9010679 (स्कीम कोड-1632) के अन्तर्गत होगा।"

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

4. राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत राँची कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 से राशि की निकासी करेंगे।

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

R-885
18/11/2022

6. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
7. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।
8. स्वीकृत्यादेश संख्या 130/बजट दिनांक 02.08.2022 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(सूरज कुमार)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो.1-15/2017 (उ0शि0)/सँची, दिनांक-/2022
प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, सँची/कोषागार पदाधिकारी,
जिला कोषागार, सँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(सूरज कुमार)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो.1-15/2017 (उ0शि0) 183/945/सँची, दिनांक- 13/10/2022
प्रतिलिपि -विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त
सचिव/ कुलसचिव, सँची विश्वविद्यालय, सँची X लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा-सह-नोडल पदाधिकारी को
विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सूरज कुमार)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India
CODE No: 00212
0851-2402850

मागझापट
DEMAND DRAFT

Key: NOFFEP
Sr. No: 119498

22-23
05112022
DDMMYY

8

मांगे जानेपर REGISTRAR RU

वा उनके आदेश पर
OR ORDER

- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

ON DEMAND PAY
Five Lakh Only

रुपये RUPEES

अदा करें ₹

000544534055 Key: NOFFEP Sr. No: 119498 AMOUNT BELOW 500001(0/3) मूल्य प्राप्त / VALUE RECEIVED
Name of Applicant By Charges



भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA
भारत का राष्ट्रीय बैंक
भारत का राष्ट्रीय बैंक
भारत का राष्ट्रीय बैंक

Amir Kumar
AMIR KUMAR
BRANCH MANAGER
SS No: 5146493
K-14960
AUTHORISED SIGNATORY

कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित होने पर ही वैध
VALID ONLY IF COMPUTER PRINTED

केवल 3 महीने के लिए वैध
VALID FOR 3 MONTHS ONLY

₹ 1,00,000- एवं अधिक के निम्न दो अधिकारियों द्वारा केवल मुद्रित होने पर ही वैध है।
INSTRUMENTS FOR ₹ 1,00,000- & ABOVE ARE NOT VALID UNLESS SIGNED BY TWO OFFICERS

⑈534055⑈ 000002000⑈ 000544⑈ 16

निमाता
श्रीमती. राजी

R-
231

10
9

आंतरिक वित्तीय
 सलाहकार से
 परामर्शित

प्रेषक,

के0 के0 खण्डेलवाल,
 सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
 पो0-दिनू, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक/

वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य विश्वविद्यालय एवं इनके अन्तर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों की नैक प्रत्यापन (NACC Accreditation) एवं शोध कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रति विश्वविद्यालय को रू0 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) मात्र की दर से कुल 04 विश्वविद्यालय यथा- डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची, राँची विश्वविद्यालय, राँची, सिदों कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका एवं कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा को कुल राशि रू0 4,00,00,000/- (चार करोड़ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश- स्वीकृत।

राज्य के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता एवं वर्तमान संसाधनों के आकलन हेतु सभी राज्य विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों की नैक प्रत्यापन (NACC Accreditation) सुनिश्चित करने तथा इसमें उच्च श्रेणी (Higher Grade) प्राप्त करने, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) में उच्च वरीयता प्राप्त करने हेतु संस्थानों के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (IQAC) की स्थापना एवं शोध कार्यों में इच्छुक शिक्षकों को क्षमता संवर्द्धन के अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने हेतु राशि का प्रावधान किया गया है।

2. वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य स्कीम बजट के अन्तर्गत उपशीर्ष-BL- विश्वविद्यालयों को सहायता, 01-नैक प्रत्यापन, अनुसंधान एवं परिमार्जन केन्द्र लघुशीर्ष-102-विश्वविद्यालयों को सहायता मद में 12.00 करोड़ (बारह करोड़ रुपये) मात्र एवं लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मद में 8.00 करोड़ (आठ करोड़ रुपये) मात्र अर्थात् कुल रू0 20.00 करोड़ का बजट उपबंध प्राप्त है।

3. वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य विश्वविद्यालय एवं इनके अन्तर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों की नैक प्रत्यापन (NACC Accreditation) एवं शोध कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रति विश्वविद्यालय को रू0 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) मात्र की दर से कुल 04 विश्वविद्यालय यथा- डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची, राँची विश्वविद्यालय, राँची, सिदों कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका एवं कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा को कुल राशि रू0 4,00,00,000/- (चार करोड़ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है -

क्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	स्वीकृत राशि
1	डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची।	1,00,00,000/-
2	राँची विश्वविद्यालय, राँची।	1,00,00,000/-
3	सिदों कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका।	1,00,00,000/-
4	कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा।	1,00,00,000/-
कुल राशि -		4,00,00,000/-

4. उपर्युक्त स्वीकृत राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2022-23 के राज्य स्कीम के निम्नांकित शीर्ष-

मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03- विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-BL- विश्वविद्यालयों को सहायता, 01- नैक प्रत्यापन, अनुसंधान एवं परिमार्जन केन्द्र, विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान, 79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) (विपत्र कोड-21S220203796BL010679) (स्कीम कोड-2007) के अंतर्गत होगा।

5. वित्त विभाग के पत्रांक-3520, दिनांक 11.12.07 में प्रसंगाधीन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-301, दिनांक-11.03.2015 के आलोक में यह स्वीकृत्यादेश विभाग को प्रदत्त शक्ति के अधीन है।

6. इस मद में विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की विवरणी-

स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	निकासी की गई राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
-	शून्य	शून्य

R-665
 20/9/22

20/9

17/03/2022
1651-22
मात्र

7. वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक 759 दिनांक 20.03.2015 के अनुसार राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

9. संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत पी0 एल0 खाता संख्या-8448 से राशि की निकासी की जायेगी।

10. राशि की विमुक्त निम्न शर्तों के अधीन की जायेगी-

(क) विमुक्त राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

(ख) सभी संबंधित विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों को नैक प्रत्यापन (NACC Accreditation), राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) में उच्च वरीयता प्राप्त करने हेतु संस्थानों के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (IQAC) की स्थापना एवं शोध कार्यों के लिए सहायता अनुदान के रूप में व्यय किया जायेगा।

(ग) झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 343 का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

11. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

12. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

13. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

14. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

15. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र पर निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(के0 के0 खण्डेलवाल)

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक- 3/यो.01-16/2022 (उ0शि0)/राँची, दिनांक-...../2022

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, दुमका/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(के0 के0 खण्डेलवाल)

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक- 3/यो.01-16/2022 (उ0शि0) 124/944/राँची, दिनांक- 25/07/2022

प्रतिलिपि -निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची/ राँची विश्वविद्यालय, राँची/ सिदों कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका/ कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा /अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (उच्च शिक्षा)/लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा-सह-नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(के0 के0 खण्डेलवाल)

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

25/07/2022

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India
Branch: DORANDA (RANCHI)
CODE No: 00212
0851-2482850

A/C Payee

मांगड्राफ्ट
DEMAND DRAFT

Key: NUGGEV
Sr. No: 141120

0 3 0 9 2 0 2 2
D D M M Y Y Y Y

मांगे जानेपर REGISTRAR RU *****

ON DEMAND PAY
पये RUPEES One Crore Only

या उनके आदेश पर
OR ORDER

अदा करें ₹ 10000000.00

01 000544533518
Name of Applicant Key: NUGGEV Sr. No: 141120
By Charges

AMOUNT BELOW 10000001(0/8)

शुद्ध प्राप्त VALUE RECEIVED



भारतीय स्टेट बैंक

STATE BANK OF INDIA SHOVIT NAMRATA KIRAN
अदाकर्ता शाखा / DRAWEE BRANCH: RANCHI 652727
कॉड नं. / CODE No: 00167

SHRIMOCHAN PRASAD

राष्ट्रियकृत हस्ताक्षरकर्ता
AUTHORISED SIGNATORY

शाखा प्रबंधक
BRANCH MANAGER

र द्वारा मुद्रित होने पर ही वैध
ONLY IF COMPUTER PRINTED

केवल 3 महीने के लिए वैध
VALID FOR 3 MONTHS ONLY

S.S.No: K149

₹ 20,000/- एवं अधिक के लिखत दो अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होने पर ही वैध है।
INSTRUMENTS FOR ₹ 1,50,000/- & ABOVE ARE NOT VALID UNLESS SIGNED BY TWO OFFICERS

⑈533518⑈ 000002000⑈ 000544⑈ 16

में।
आदेश- स्वीकृत।

9
8
7
6
5
4
3
2
1

7837
B/RV

5

पत्रांक :-3/यो.01-07/2021 (उ0शि0)
झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

[Handwritten signature]
22/7/2022
fo
G...
22-7-22

प्रेषक,

सूरज कुमार,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

[Handwritten notes]
Sri Kujar
Sri Manjay
Most U...
Ch...
29.7.2022

राँची, दिनांक

राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत महिला महाविद्यालय, गुमला के लिए फर्नीचर एवं Procurement हेतु रू0 2,51,37,900/- (दो करोड़ एकावन लाख सैंतीस हजार नौ सौ रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 81/बजट दिनांक 29.06.2022 के अन्वये में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत महिला महाविद्यालय, गुमला के लिए फर्नीचर एवं Procurement हेतु रू0 2,51,37,900/- (दो करोड़ एकावन लाख सैंतीस हजार नौ सौ रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2022-23 के राज्य स्कीम के शीर्ष- " मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03- विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना, उप शीर्ष-BA- नये विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना के लिए सहायता अनुदान , 01- नये विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों हेतु आधारभूत संरचना का विकास, विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान,78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड-21S220203796BA010678) (स्कीम कोड-1633) के अंतर्गत होगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

4. राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत राँची कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 से राशि की निकासी की जायेगी।

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

6. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

8. स्वीकृत्यादेश संख्या 81/बजट दिनांक 29.06.2022 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,
ह0/-

(सूरज कुमार)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

R-493
23/7/22

ज्ञापांक-3/यो.01-07/2021 (उ0शि0)...../रॉची, दिनांक-/2022
प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार पदाधिकारी,
जिला कोषागार, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(सूरज कुमार)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो.01-07/2021 (उ0शि0)...../रॉची, दिनांक-/2022
प्रतिलिपि -विभागीय अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के
प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, रॉची विश्वविद्यालय, रॉची / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/लेखा शाखा, उच्च
शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा सहायक निदेशक,
तकनीकी शिक्षा-सह-नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

५/६

(सूरज कुमार)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

7404

पत्रांक :-3/यो.1-10/2016 (उ0शि0)
झारखण्ड सरकार

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India
Jing Branch DORANDA (RANCHI)
/को J/CODE No: 00212
No. 0651-2482850

A/C Payee

मांगद्वापट
DEMAND DRAFT

Key: RAGFEY
Sr. No: 142461

1 8 0 7 2 0 2 2
D D M M Y Y Y Y

मांगे जानेपर REGISTRAR RU *****

या उनके आदेश पर
OR ORDER

ON DEMAND PAY
रुपये RUPEES Two Crore Fifty One Lakh Thirty Seven Thousand Nine Hundred Only

अदा करें ₹ 25137900.00

IOI 000544532380
Name of Applicant

Key: RAGFEY Sr. No: 142461
By Charges

AMOUNT BELOW 25137901(0/0)

मूल्य प्राप्त / VALUE RECEIVED



भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA
अदाकर्ता शाखा / DRAWEE BRANCH RANCHI
कोड नं. / CODE No: 00167

Amit Kumar
AMIT KUMAR
SS No: K13493717
PF No: ...
S.S.No: K14988
Branch Manager

कंप्यूटर द्वारा मुद्रित होने पर ही बैंक
VALID ONLY IF COMPUTER PRINTED

केवल 3 महीने के लिए वैध
VALID FOR 3 MONTHS ONLY

INSTRUMENTS FOR ₹ 1,00,000 & ABOVE ARE NOT VALID UNLESS SIGNED BY TWO OFFICERS

⑈532380⑈ 000002000⑈ 000544⑈ 16

9
8
7
6
5
4
3
2
1

पत्रांक :-3/यो.1-10/2016 (उ0शि0)...../

4

झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

सूरज कुमार,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक

वित्तीय वर्ष 2022-23 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत विरसा कॉलेज, खूँटी में बहुददेशीय परीक्षा भवन के निर्माण हेतु रू0 9,74,45,000/- (नौ करोड़ चौहत्तर लाख पैंतालीस हजार) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रू0 60,53,672/- (साठ लाख तिरपन हजार छः सौ बहत्तर रुपये) मात्र के मुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 79/बजट दिनांक 29.06.2022 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2022-23 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत विरसा कॉलेज, खूँटी में बहुददेशीय परीक्षा भवन के निर्माण हेतु रू0 9,74,45,000/- (नौ करोड़ चौहत्तर लाख पैंतालीस हजार) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रू0 60,53,672/- (साठ लाख तिरपन हजार छः सौ बहत्तर रुपये) मात्र के मुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2022-23 के राज्य स्कीम के शीर्ष- "मुख्य शीर्ष-2202, उप मुख्य शीर्ष-03-विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा, लघुशीर्ष-796-क्षेत्रीय उप योजना, उपशीर्ष-B5- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, उपयोजना-01- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान विस्तृत शीर्ष-06- अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड-21S220203796B5010678) (स्कीम कोड-1633) के अंतर्गत होगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

4. राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत राँची कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 से राशि की निकासी कर एक सप्ताह के अंदर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को उपलब्ध करायेंगे।

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

6. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

8. स्वीकृत्यादेश संख्या 79/बजट दिनांक 29.06.2022 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(सूरज कुमार)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

R-492
23/7/22

ज्ञापांक-3/यो.1-10/2016 (उ0शि0)...../रॉची, दिनांक-/2022
प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार पदाधिकारी,
जिला कोषागार, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(सूरज कुमार)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो.1-10/2016 (उ0शि0)...../रॉची, दिनांक-/2022
प्रतिलिपि -विभागीय अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के
प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, रॉची विश्वविद्यालय, रॉची / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/लेखा शाखा, उच्च
शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा सहायक निदेशक,
तकनीकी शिक्षा-सह-नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

१०/१५५६

(सूरज कुमार)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

राज्य
State Bank
of India (RANC)
10212
350
R REGISTR
MAND PAY
PEES

1544
e c

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India
(ANDA (RANCHI))
00212
2650

मांगझाफ्ट
DEMAND DRAFT

Key: QUJDIN
Sr. No: 154883

1 8 0 7 2 0 2 2
D D M M Y Y Y Y

या उनके आदेश पर
OR ORDER

REGISTRAR RU
DEMAND PAY Sixty Lakh Fifty Three Thousand Six Hundred and Seventy Two Only

RUPEES अदा करें ₹ 6053672.00

00544532379
Name of Applicant

Key: QUJDIN
By Charges Sr. No: 154883

AMOUNT BELOW 6053673(0/7)

मूल्य प्राप्त / VALUE RECEIVED

मूल्य द्वारा मुद्रित होने पर ही वैध
VALID ONLY IF COMPUTER PRINTED

केवल 3 महीने के लिए वैध
VALID FOR 3 MONTHS ONLY

भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA
अदाकर्ता शाखा / DRAWEE BRANCH: RANCHI
ब्रेड कोड / CODE No: 00167

AMIT KUMAR
प्रतिभूत अदाकर्ता
AUTHORISED SIGNATORY
SS No: 711 SHOVVI NAMPAI
PF No: 6052727
S.S.No. K1493

ब्रांच प्रबंधक
BRANCH MANAGER

INSTRUMENTS FOR ₹ 1,50,000 & ABOVE ARE NOT VALID UNLESS SIGNED BY TWO OFFICERS

532379 000002000 000514 66

- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

पत्रांक :- 3/यो01-07/2022 (उ0शि0) 73/995

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

सूरज कुमार,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

विषय:-

राज्य के विश्वविद्यालय अंतर्गत पूर्व से संचालित अंगीभूत महाविद्यालयों में Digital Board के कय के निमित्त प्रति महाविद्यालय 20.00 लाख की दर से राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत 14 अंगीभूत महाविद्यालय हेतु रू० 2,80,00,000/- (दो करोड़ अस्सी लाख रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 68/बजट दिनांक 21.06.2022 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के विश्वविद्यालय अंतर्गत पूर्व से संचालित अंगीभूत महाविद्यालयों में Digital Board के कय के निमित्त प्रति महाविद्यालय 20.00 लाख की दर से राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत 14 अंगीभूत महाविद्यालय हेतु रू० 2,80,00,000/- (दो करोड़ अस्सी लाख रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2022-23 के राज्य स्कीम के शीर्ष- "मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03- विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-B7-पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कम्प्यूटर सेन्टर, उद्यमशीलता विकास केन्द्र की स्थापना तथा आई0सी0टी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु सहायता अनुदान, उपयोजना-01- पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कम्प्यूटर सेन्टर, उद्यमशीलता विकास केन्द्र की स्थापना तथा आई0सी0टी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड-21S220203796B7010678) (स्कीम कोड-1630) के अंतर्गत होगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

4. राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत राँची कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 से राशि की निकासी की जायेगी।

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

6. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

8. स्वीकृत्यादेश संख्या 68/बजट दिनांक 21.06.2022 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,



(सूरज कुमार)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

2-485
18/7/22Fol/CCDC
Gentl
18.7.224/RV
6214S^r Kujur

ज्ञापांक-3/यो01-07/2022 (उ0शि0) 73/958 /रॉची, दिनांक- 22/06/2022
प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार पदाधिकारी,
जिला कोषागार, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7/2/16
(सूरज कुमार)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो01-07/2022 (उ0शि0) 72/958 /रॉची, दिनांक- 22/06/2022
प्रतिलिपि -विभागीय अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के
प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, रॉची विश्वविद्यालय, रॉची / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/लेखा शाखा, उच्च
शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा सहायक निदेशक,
तकनीकी शिक्षा-सह-नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7/2/16

(सूरज कुमार)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

(3)
22-23

Key: NELLON 05072022
Sr. No: 167966 D D M M Y Y Y Y

या अके आदेश पर
OR-ORDER

मांगदापट
DEMAND DRAFT

जारी करने वाले बैंक भारतीय स्टेट बैंक
Issuing Branch: State Bank of India
A/C Payee
कोड नं. / CODE No: 00212
TeNo. 0651-2482850

मांगे जाने पर REGISTRAR RU
ON-DEMAND-PAY
Two Crore Eighty Lakh Only

9
8
7
6
5
4
3
2
1

अदा करें ₹ 28000000.00
मुख्य शाखा / VALUE RECEIVED
S. S. Mohan

AMOUNT BELOW 28000001(0/8)

Key: NELLON Sr. No: 167966
By Charges

भारतीय स्टेट बैंक

STATE BANK OF INDIA
अनुकूल शाखा / DRAWEE BRANCH
कोड नं. / CODE No: 00167

SHRIMOHAN PRASAD
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता :- S-240
BRANCH MANAGER
SHRIMOHAN PRASAD
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता :- S-240
BRANCH MANAGER

S.S.No: K14960 INSTRUMENTS FOR ₹ 1,50,000+ ABOVE ARE NOT VALID UNLESS SIGNED BY TWO OFFICERS

केवल 3 माहों के लिए वैध
VALID FOR 3 MONTHS ONLY

कंप्यूटर द्वारा मुद्रित होने पर ही वैध
VALID ONLY IF COMPUTER PRINTED

⑈ 532316⑈ 000002000⑈ 000544⑈ 16



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher and Technical Education Department (Higher Education Division)

वित्तीय वर्ष

2022-23

भे व्यय हेतु निम्नलिखित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या -

3/YO1-07/2022/73/BUDGET

दिनांक -

22-Jun-2022

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203796B7010678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	30110	DRNED046 SRI ARUN KUMAR	26,000,000.00

रुपये दो करोड़ साठ लाख

87 - पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कम्प्यूटर सेंटर, उद्यमशीलता विकास केंद्रों की स्थापना तथा आई.सी.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु सहायता

01-पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण, प्रयोगशालाओं के स्तरोन्नयन, कम्प्यूटर केंद्रों की स्थापना, परिमार्जन एवं उद्यमशीलता विकास केंद्रों की

विकास हेतु सहायता अनुदान

State Scheme

State Scheme :

Central Scheme :

GRANT-IN-AID TO UNIVERSITIES FOR LIBRARY, LABORATORY, COMPUTER CENTERS, ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT CENTRE & ICT INFRASTRUCTURE(1630)

UNDER
SECT.HIGHER
EDU.DIR.JHA.



78 - पूर्वी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान

योग:

क्रमिक योग:

रुपये दो करोड़ साठ लाख

26,000,000.00

(SURAJ KUMAR)
DIRECTOR